राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: 13(22)राज/ग्रुप-1/93/ दिनांक: 23.5.1994

परिपत्र
=====

राज्य सरकार द्वारा मैट्रिक प्रणाली से नक्शों को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में, भू अभिलेख के पुराने नक्शों को आदिनांक करने के सम्बन्ध में, भू सर्वेक्षित क्षेत्र में भू अभिलेख का आंशिक पुर्नरीक्षण कार्य के सम्बन्ध में पूर्व परिपत्रों के परिप्रेक्ष में निम्न आदेश/निर्देश प्रसारित किये जाते हैं जिसके अनुसार भू प्रबन्ध अधिकारी/कर्मचारी तुरन्त कार्य प्रारंभ कर देंगे:-

1. भू प्रबन्ध संक्रियाओं के अंतर्गत विभाग केवल तरमीम एवं आंशिक संशोधन ही करेगा, सर्वे नहीं करेगा, परन्तु यदि गत बंदोबस्त की सर्वेशीट/नक्शे उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी अवस्था में भू प्रबन्ध अधिकारी के प्रस्तावानुसार भू प्रबन्ध आयुक्त की सिफारिश पर राज्य सरकार की स्वीकृति से सर्वे किया जा सकेगा।

2. सर्वेक्षण मैट्रिक प्रणाली से ही होगा और नक्शे इसके अनुरुप ही बदले जाएंगे।

3. गाँव की सीमा में कोई तबदीली नहीं की जाएगी एवं पटवारी द्वारा की गई तरमीम मान्य होगी व पुराने खाता नंबर का रकबा पूर्ववत ही रहेगा परन्तु पंजीकृत विक्रयपत्र, विभाजन, विरासत व कोर्ट आदेश से रकबे में अंतर लाया जा सकता है।

4. सड़क, पुल व उद्योगों आदि की मौके की स्थिति अनुसार तरमीम की जा सकती है।

5. विभाग द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 125 के तहत कब्जे के आधार पर खातेदारी दर्ज नहीं की जाएगी।

6. गंगानगर में 'होई-बोई' प्रथा समाप्त कर राज्य के अन्य भागों की भाँति नियमित लगान निर्धारित किया जाएगा।

7. तरमीम के बटे नंबर के बजाय नये नंबर आएंगे परन्तु पर्चा लगान एवं पर्चा खतौनी एवं खतौनी जमाबंदी/मिसल बंदोबस्त में नये पुराने दोनों नंबर आएंगे।

8. जिन 23 तहसीलों में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा कार्य सम्पन्न किया जा रहा है उनमें नामान्तकरण खोलने, तस्दीक करने व अभिलेख की नकल देने का कार्य भू प्रबन्ध विभाग के अधिकारी/कर्मचारी ही करेंगे।

9. पर्चा लगान वितरण के बाद उज्रदारी सुनवाई के साथ ही भू प्रबन्ध अधिकारी अपने स्तर पर मिसल बंदोबस्त का कार्य पूर्ण कराएंगे जिससे समय की बचत होगी और परिशिष्ठ "अ" के अनुसार निर्धारित अवधि में मिसल बंदोबस्त

—— 2

तैयार कर सम्बन्धित कलेक्टर को संभलाई जा सकेगी।

10. भू प्रबन्ध विभाग का 50 प्रतिशत स्टाफ जो पूर्व निर्देशानुसार भू प्रबन्ध अधिकारीगण ने सम्बन्धित जिला कलेक्टर को दे दिया था। यदि जिलाधीश को इस स्टाफ की अब आवश्यकता न हो तो सम्बन्धित भू प्रबन्ध अधिकारी सम्बन्धित जिला कलेक्टर से विचार-विमर्श कर एवं कार्य के अनुपात में उनकी सहमति से इस स्टाफ को वापिस लेकर बचा हुआ शेष कार्य निश्चित अवधि में पूर्ण करेंगे।

11. प्रभावित 23 तहसीलों में से अधिकांश में पर्चा लगान/पर्चा खतौनी वितरण किये जा चुके हैं अथवा शीघ्र कर दिये जाएंगे परन्तु यह कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा अगस्त 93 एवं उसके बाद प्रसारित आदेश/निर्देश से पूर्व ही काफी सीमा तक सम्पन्न कर लिये गये थे अतः वर्तमान आदेश के तहत जिसमें खातेदार के खाते के रिकार्ड में कोई फेरबदल/घटत-बढ़त नहीं करने के निर्देश हैं अतः ऐसे पर्चा लगान/पर्चा खतौनी में पुनः संशोधन किया जाएगा और उन्हें पुनः वितरित किया जाएगा। यह कार्य भी भू प्रबन्ध अधिकारी निश्चित समय अवधि में निश्चित रूप से पूर्ण कर ले एवं उसके पश्चात् खतौनी जमाबंदी/मिसल बंदोबस्त आदि पूर्ण कर सम्बन्धित जिला कलेक्टर को संभलाएंगे एवं तभी भू प्रबन्ध प्रक्रिया की समाप्ति का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

परिशिष्ठ "अ" के कालम तीन में दर्शाई गई तिथि तक प्राप्त नामान्तकरण ही भू प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा स्वीकार किये जा सकेंगे। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले नामान्तकरण सीधे ही तहसीलदार को भेजे जाएंगे। नियत अंतिम तिथि तक प्राप्त पर लम्बित नामान्तकरण की सूची भू प्रबन्ध स्टाफ परिशिष्ठ "अ" के कॉलम 3 में दर्शाई गई अंतिम तिथि के 3 दिवस के अंदर आवश्यक रूप से सम्बन्धित कलेक्टर, भू प्रबन्ध अधिकारी एवं तहसीलदार को प्रेषित करेंगे।

सम्बन्धित भू प्रबन्ध अधिकारियों/सहायक भू प्रबन्ध अधिकारियों स्टाफ का यह विशेष दायित्व होगा कि वे निश्चित समय अवधि में यह कार्य निश्चित रूप से पूर्ण करें।

§ आई. सी. श्रीवास्तव §
प्रमुख शासन सचिव,
राजस्व

प्रतिलिपि निम्नलिखित को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राज. जयपुर ।

...3